



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 18.05.2025

1. थाना बिसरख पुलिस और 25 हजार रुपये का इनामी वांछित सहित अन्य बदमाश के बीच हुई पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में--

घटना एवं कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.05.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा थाना बिसरख क्षेत्रांतर्गत टी प्वाइन्ट पर चैकिंग की जा रही थी। तभी सामने की तरफ से एक सफेद रंग की स्कोर्पियों कार आती हुई दिखायी दी जिसे पास आने पर रुकने का इशारा किया, किन्तु कार सवार, कार को लेकर तेजी से छपरौला रेलवे पुल की तरफ भगाने लगे, जिस पर बिसरख पुलिस के द्वारा बदमाश होने के शक पर पीछा किया गया तो कार सवार, कार को पुल से पहले बायीं तरफ को मोड़कर फैक्ट्री एरिया की ओर भगाने लगे, कार सवार बदमाशों द्वारा अपने आपको घिरता देख गाड़ी से उतरते हुए अपने पास लिए अवैध असलाहों से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में 02 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। जिनकी पहचान 1. राहुल देव चौधरी निवासी बिलारी जनपद मुरादाबाद 2. रतन चोपड़ा निवासी मंगोलपुरी दिल्ली के रूप में हुयी। घायल बदमाशों के कब्जे से 02 देशी तमंचा .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा थाना बिसरख से दिनांक 09.05.2025 की रात में लूटी हुई स्कार्पियों कार बरामद हुयी है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही ।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त गण के द्वारा दिनांक 09.05.2025 को चैरीकाउन्टी क्षेत्र से बरामद स्कोर्पियों N रजि नं0- UP16 EP 9030 अपने साथियों के साथ असलाह दिखाकर लूटी थी तथा दिनांक 28.04.2025 को निजी अस्पताल के पास से एक व्यक्ति के गले से चैन स्नैचिंग की थी। यह अपराधी लगातार फरार चल रहे थे अभियुक्त राहुल देव चौधरी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। यह एक अन्तर्राज्यीय गिरोह है इनके विरुद्ध दिल्ली- एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, मुरादाबाद आदि में हत्या, लूट, डकैती, चार पहिया वाहन चोरी व चैन लूटने के दर्जनों अपराध पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/ आपराधिक इतिहास—

- अभियुक्त राहुल देव चौधरी पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह बालियान निवासी गांव हाथीपुर बाउद्दीन थाना बिलारी जिला मुरादाबाद वर्तमान पता मौहल्ला ऋषिपुरा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

- 1- मु0अ0सं0-545/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, जनपद औरैया
- 2- मु0अ0सं0-725/20 धारा 394,411,420,467,468,471 भा0द0वि0, जनपद औरैया
- 3- मु0अ0सं0-766/20 धारा 307 भा0द0वि0, जनपद औरैया
- 4- मु0अ0सं0-767/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, जनपद औरैया
- 5- मु0अ0सं0-769/20 धारा 411,413,भा0द0वि0, 41 द0प्र0स0, जनपद औरैया
- 6- मु0अ0सं0-792/19 धारा 120बी,394,506 भा0द0वि0 थाना बिधूना, जनपद औरैया
- 7- मु0अ0सं0-238/19 धारा 392,411,504,506 भा0द0वि0 थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज
- 8- मु0अ0सं0-341/20 धारा 392,411,482 भा0द0वि0 थाना एक्सप्रेस- वे, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- 9- मु0अ0सं0-329/16 धारा 307 भा0द0वि0 थाना बाछ, आगरा पूर्वी
- 10- मु0अ0सं0-140/18 धारा 307 भा0द0वि0 थाना मखरकपुर, फिरोजाबाद
- 11- मु0अ0सं0-141/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मखरकपुर, फिरोजाबाद
- 12- मु0अ0सं0-265/16 धारा 379,392,411 भा0द0वि0 थाना मगोर्रा, मथुरा
- 13- मु0अ0सं0-2/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मांट, मथुरा
- 14- मु0अ0सं0-191/16 धारा 328,379,411,420 भा0द0वि0 थाना मांट, मथुरा
- 15- मु0अ0सं0-274/16 धारा 420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना मांट, मथुरा
- 16- मु0अ0सं0-275/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मांट, मथुरा
- 17- मु0अ0सं0-276/16 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मांट, मथुरा
- 18- मु0अ0सं0-277/16 धारा 170,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना मांट, मथुरा
- 19- मु0अ0सं0-170/25 धारा 309(4),317(2),बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- 20- मु0अ0सं0-430/15 धारा 307,504 भा0द0वि0 थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद
- 21- मु0अ0सं0-24/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फजलगंज, सेंट्रल कानपुर
- 22- मु0अ0सं0-218/19 धारा 201,302,394,411 भा0द0वि0 थाना फजलगंज, सेंट्रल कानपुर
- 23- मु0अ0सं0-225/16 धारा 120बी, 302,394,411 भा0द0वि0 थाना फजलगंज, सेंट्रल कानपुर

24- मु0अ0सं0-340/25 धारा 309(4),351(3),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर

25- मु0अ0सं0-101/25 धारा 140(1),309(4),311,351(2) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट थाना गुडगाँव सदर,गुरुग्राम, हरियाणा

➤ अभियुक्त रतन चौपड़ा पुत्र स्व0 नारायण दास चौपड़ा निवासी मंगोलपुरी एस ब्लॉक टर्मिनल थाना मंगोलपुरी दिल्ली।

- 1- मु0अ0सं0-186/2017 धारा 411,413,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना इकदिल जनपद इटावा
- 2- मु0अ0सं0-188/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा
- 3- मु0अ0सं0-185/2017 धारा 307,399,402 भा0द0वि0 थाना इकदिल जनपद इटावा
- 4- मु0अ0सं0-260/2017 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना सिविल लाइन्स जनपद इटावा
- 5- मु0अ0सं0-353/2017 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा
- 6- मु0अ0सं0-549/2017 धारा 394,406,411 भा0द0वि0 थाना सेक्टर 20, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
- 7- मु0अ0सं0-162/2009 धारा 186,353,307,34 भा0द0वि0 थाना अमन विहार,रोहिणी, दिल्ली
- 8- मु0अ0सं0-108/2009 धारा 379/34 भा0द0वि0 थाना वसन्त विहार, साउथ वेस्ट दिल्ली
- 9- मु0अ0सं0-251/2009 धारा 379/411/471/467/468 भादवि थाना साकेत, साउथ दिल्ली
- 10- मु0अ0सं0-100/2009 धारा 379/411/471/467/468/382 भादवि थाना वसन्त विहार,साउथ वेस्ट दिल्ली
- 11- मु0अ0सं0-119/2012 धारा 365/392/411/34 भादवि थाना मौर्य एन्क्लेव,नार्थ वेस्ट दिल्ली
- 12- मु0अ0सं0-142/12 धारा 392/34 भादवि थाना बसन्तकुंज नोर्थ, साउथ वेस्ट दिल्ली
- 13- मु0अ0सं0-60/12 धारा 392/393/394/397/34 भादवि थाना हिण्डन रेलवे स्टेशन,दिल्ली
- 14- मु0अ0सं0-77/12 धारा 379 भादवि थाना नेबसराय, साउथ दिल्ली
- 15- मु0अ0सं0-86/12 धारा 379 भादवि थाना नेबसराय, साउथ दिल्ली
- 16- मु0अ0सं0-173/2012 धारा 392/397/365 भादवि थाना रानीबाग, आउटर दिल्ली
- 17- मु0अ0सं0-340/25 धारा 309(4),351(3),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

18- मु0अ0सं0-101/25 धारा 140(1),309(4),311,351(2) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट, थाना गुडगाँव सदर, गुरुग्राम, हरियाणा

19- मु0अ0सं0-300/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

2. थाना बिसरख पुलिस और 25 हजार रुपये के इनामी वांछित सहित अन्य बदमाश के बीच हुई पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में-

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 18.05.2025 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा चार मूर्ति चौक पर चैकिंग की जा रही थी कि तभी कैप्सूल कट की तरफ से एक XUV500 कार तेजी से आती हुई दिखाई दी जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो कार सवार द्वारा अचानक कार को पीछे मोड़कर भगाने लगे जिस पर बदमाश होने के शक के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा पीछा कर घेरने का प्रयास किया गया तो बदमाश कार को सर्विस रोड से भगत मार्केट की तरफ भगाने लगे, बदमाशों द्वारा कार से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गये जिनकी पहचान 1.राजन सिंह निवासी ओरैया 2.गौरव शर्मा निवासी भरतपुर राजस्थान के रूप में हुयी है। अभियुक्तों के कब्जे से हरियाणा से लूटी गयी एक कार XUV500 व 02 तमचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस एवं 6000 रुपये नकद (लूटी गयी चैन की बिक्री से) बरामद किये गये है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इस गिरोह के द्वारा दिनांक 09.05.2025 को चैरीकाउन्टी क्षेत्र से बरामद स्कोर्पियो N रजि0नं0-UP16 EP 9030 अपने साथियों के साथ असलाह दिखाकर लूटी थी तथा दिनांक 06.03.2025 को एक निजी स्कूल के पास से राह चलती एक महिला के गले से चैन छीनी थी तथा दिनांक 28.04.2025 को निजी अस्पताल के पास से एक व्यक्ति के गले से चैन स्नैचिंग की गयी थी तथा दिनांक 10.02.2025 को अभियुक्तों द्वारा बरामद XUV-500 कार हरियाणा से लूटी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में हरियाणा राज्य में अभियोग पंजीकृत है, जिसमें ये अभियुक्त गण लगातार फरार चल रहे थे। अभियुक्त राजन के ऊपर मु0अ0सं0 170/25 धारा 309(4) ,317 (2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर में 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/ आपराधिक इतिहास--

➤ अभियुक्त गौरव शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम पिडयानी, जिला भरतपुर, राजस्थान ।

1. मु0अ0सं0 225/2016 धारा 394,302,411,120बी भा0द0वि0, थाना फजलगंज,कानपुर नगर

2. मु0अ0सं0 265/2016 धारा 392,411 भा0द0वि0, थाना मगोरा, मथुरा
3. मु0अ0सं0 191/2016 धारा 379,328,411,420 भा0द0वि0 थाना मांट, मथुरा
4. मु0अ0सं0 278/2016 धारा 21/22 NDPS Act थाना मांट, मथुरा
5. मु0अ0सं0 27/2018 धारा 222,223,224,34 भा0द0वि0, थाना जीआरपी आगरा
6. मु0अ0सं0 002/2017 धारा 2/ 3 गै0एक्ट, थाना मांट, मथुरा
7. मु0अ0सं0 274/2016 धारा 420,467,468,471 भा0द0वि0, थाना मांट, मथुरा
8. मु0अ0सं0 279/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट ,थाना मांट, मथुरा
9. मु0अ0सं0 024/2017 धारा 2/ 3 गै0एक्ट, थाना फजलगंज, सेंट्रल कानपुर
10. मु0अ0सं0 226/17 धारा 307,143,323,427,458 भा0द0वि0, थाना कुचामन सिटी,नागौर, राजस्थान
11. मु0अ0सं0 224/14 धारा 43,307,341,323 भा0द0वि0
12. मु0अ0सं0 115/12 धारा 107,341 भा0द0वि0, 3(1)(10) sc/st Act
13. मु0अ0सं0 63/08 धारा 323,143,452 भा0द0वि0
14. मु0अ0सं0 223/10 धारा 323,341 भा0द0वि0
15. मु0अ0सं0 101/25 धारा 40(1),309(4),311,351(2) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट, थाना गुडगाँव सदर, गुरुग्राम, हरियाणा

➤ **अभियुक्त राजन सिंह परिहार पुत्र श्री जयपाल सिंह परिहार निवासी ग्राम टैडी थाना बिधुना, जनपद औरैया ।**

1. मु0अ0सं0 340/25 धारा 309(4),351(3),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 170/25 धारा 309(4) ,317 (2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 101/25 धारा 140(1),309(4),311,351(2) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट थाना गुडगाँव सदर, गुरुग्राम, हरियाणा
4. मु0अ0सं0 300/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर

3. थाना बिसरख पुलिस व बदमाशों के बीच हुयी पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में—

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.05.2025** को थाना बिसरख पुलिस द्वारा कैप्सूल कट के पास चैकिंग की जा रही थी कि तभी चार मूर्ति की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर कार तेजी से आती हुई दिखाई दी जिसको पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया लेकिन बदमाश कार को मोड़कर तेजी से भगाकर डी मार्ट सर्विस रोड की

तरफ भगाने लगे। बदमाश होने के शक के आधार पर पुलिस टीम द्वारा पीछा कर बदमाशों को घेरने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा कार से उतरकर निर्माणाधीन बिल्डिंग के सामने खाली जमीन की तरफ भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसकी पहचान मोहित निवासी औरैया के रूप में हुयी है। पुलिस टीम द्वारा अन्य 02 बदमाश विराट व भवरराम को कॉबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार स्विफ्ट डिजायर व 02 तमचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस तथा 01 तमचा .12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस तथा थाना बिसरख क्षेत्र से लूटी गई स्कोर्पियों के चालक से लूटा गया मोबाइल आई फोन बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/ आपराधिक इतिहास--

➤ अभियुक्त मोहित पुत्र मचल सिंह निवासी सरैया थाना बैला जनपद औरैया

1. मु0अ0सं0-55/22 धारा 201,302,34 भा0द0वि0 थाना अजीतमल, जनपद औरैया
2. मु0अ0सं0-13/24 धारा 323,427,504,506 भा0द0वि0 थाना बैला, जनपद औरैया
3. मु0अ0सं0-355/20 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना बैला, जनपद औरैया
4. मु0अ0सं0-193/21 धारा 279,304ए,338 भा0द0वि0 थाना बिछला, जनपद मैनपुरी
5. मु0अ0सं0-187/2016 धारा 279,304ए, भा0द0वि0 थाना ओछा, जनपद मैनपुरी
6. मु0अ0सं0-0008/2017 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली, मैनपुरी
7. मु0अ0सं0-681/2016 धारा 238, 279,304ए.427 भा0द0वि0 थाना कोतवाली, मैनपुरी
8. मु0अ0सं0-170/25 धारा 309(4) ,317 (2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर
9. मु0अ0सं0-340/25 धारा 309(4),351(3),317(2) बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर
10. मु0अ0सं0-101/25 धारा 140(1),309(4),311,351(2) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट थाना गुडगाँव सदर, गुरुग्राम, हरियाणा

➤ अभियुक्त भवरराम पुत्र हनुमन्ना राम निवासी ऊचला वास रतऊ थाना लाडनू जिला नागौर राजस्थान

मु0अ0सं0-0077/19 धारा 379 भादवि थाना डीडवाना, नागौर, राजस्थान

➤ अभियुक्त विराट पुत्र संजीव सिंह निवासी ग्राम जगतपुर थाना ऐरवा कटरा जिला औरैया

मु0अ0सं0- 101/25 धारा 140(1),309(4),311,351(2) बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट थाना गुडगाँव सदर, गुरुग्राम, हरियाणा ।

4. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की एक स्कूटी, दो मोटरसाइकिल, 06 मोबाइल फोन चोरी के व तीन अवैध चाकू बरामदा

कार्यावाही का विवरण-- दिनांक 18.05.2025 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से 03 शातिर चोर 1.विशाल उर्फ छोटू पुत्र राकेश चौहान 2.बबलू पुत्र नरेश 3.कुंदन पुत्र राजकुमार को थाना क्षेत्र के छलैरा कट से स्टेलर ग्रीन पार्क के पीछे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 1-स्कूटी न्यू एक्टिवा डीएलएक्स बिना नम्बर प्लेट (रजि0नं0 डीएल 14 एस.ए. 3900) सम्बन्धित मु0अ0सं0 239/25 धारा 303(2)बीएनएस थाना सेक्टर-39, नोएडा 2-मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेंडर रजि0नं0 डीएल 3 एस.ए.एन 5623 सम्बन्धित मु0अ0सं0 0238/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39, नोएडा 3-मोटरसाइकिल रजि0 नंबर डीएल 12 एस.डी. 3938 व 6 मोबाइल फोन चोरी के व 03 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम खर्चा चलाने हेतु वाहन चोरी व फोन चोरी की घटनाएं करते हैं तथा चाकू डरा धमकाने के लिए पास में रखते हैं।

अभियुक्तों का विवरण--

1. विशाल उर्फ छोटू पुत्र राकेश चौहान निवासी ग्राम मान, थाना छतारी, जिला बुलंदशहर वर्तमान पता दुर्गा विहार कॉलोनी, सदरपुर, सेक्टर-45, नोएडा उम्र- 26 वर्ष।
2. बबलू पुत्र नरेश निवासी ग्राम कटिया, थाना अलापुर, जिला बदायूँ वर्तमान पता सदरपुर, सेक्टर-45, नोएडा, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष।
3. कुंदन पुत्र राजकुमार निवासी औरंगाबाद, बिहार वर्तमान पता दुर्गा विहार, सदरपुर, सेक्टर-45, नोएडा उम्र- लगभग 18 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

➤ अभियुक्त विशाल उर्फ छोटू--

1. मु0अ0सं0-272/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-39 नोएडा।
2. मु0अ0सं0-440/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-39 नोएडा।
3. मु0अ0सं0-546/23 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
4. मु0अ0सं0-548/23 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
5. मु0अ0सं0-549/23 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
6. मु0अ0सं0-553/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-39 नोएडा।
7. मु0अ0सं0-810/22 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
8. मु0अ0सं0-903/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।

9. मु0अ0सं0-904/21 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
10. मु0अ0सं0-946/19 धारा 323/505 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
11. मु0अ0सं0-238/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा।
12. मु0अ0सं0-239/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा।
13. मु0अ0सं0-241/25 धारा 317(2),317(4),317(5),112(2),318(4) बी0एन0एस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा।

➤ अभियुक्त बबलू --

1. मु0अ0सं0-069/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा।
2. मु0अ0सं0-541/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा।
3. मु0अ0सं0-0569/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-39 नोएडा।
4. मु0अ0सं0-602/23 धारा 380 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
5. मु0अ0सं0-634/23 धारा 380 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
6. मु0अ0सं0-658/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
7. मु0अ0सं0-726/23 धारा 380/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
8. मु0अ0सं0-728/23 धारा 413/414 भादवि तथा 3/4/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-39 नोएडा।
9. मु0अ0सं0-238/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा।
10. मु0अ0सं0-239/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा।
11. मु0अ0सं0-241/25 धारा 317(2),317(4),317(5),112(2),318(4) बी0एन0एस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा।

➤ अभियुक्त कुन्दन--

1. मु0अ0सं0-268/22 धारा 380/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
2. मु0अ0सं0-373/23 धारा 380 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
3. मु0अ0सं0-388/23 धारा 380 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
4. मु0अ0सं0-391/23 धारा 380 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
5. मु0अ0सं0-468/23 धारा 380/411/413 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
6. मु0अ0सं0-498/23 धारा 380/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
7. मु0अ0सं0-238/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा।
8. मु0अ0सं0-239/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा।
9. मु0अ0सं0-241/25 धारा 317(2),317(4),317(5),112(2),318(4) बी0एन0एस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 स्कूटी न्यू एक्टिवा डीएलएक्स बिना नम्बर प्लेट (रजि0नं0 डीएल 14 एस.ए. 3900) सम्बन्धित मु0अ0सं0 239/25 धारा 303(2)बीएनएस थाना सेक्टर-39, नोएडा
2. मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेंडर रजि0नं0 डीएल 3 एस.ए.एन 5623 सम्बन्धित मु0अ0सं0 0238/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39, नोएडा
3. मोटरसाइकिल रजि0 नंबर डीएल 12 एस.डी. 3938
4. 6 मोबाइल फोन चोरी के
5. 03 अवैध चाकू.